न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 49/2016
पंजीयन दिनांक 15.02.2016

(1). सुरेन्द्र सिंह पिता ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी भंवरडी तहसील वल्लभनगर हाल मुकाम हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–अपीलांट

बनाम

(1). भैरूलाल पिता छोगा जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). मोहन पिता छोगा जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). गुलाब पिता छोगा जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). उदयलाल पिता भोलीराम जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). गोटूलाल पिता मगना जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(6). नन्दु पुत्री मोती जाति जाट मृतक के बजाय–
6/1. लादुलाल माता नन्दुबाई जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी हाल निवासी बाणनाथपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
6/2. पारसदेवी माता नन्दुबाई जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी हाल निवासी बाणनाथपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(7). सोसर पुत्री मोती जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(8). जड़ाव पुत्री मोती जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(9). नारायण पिता मगना जाति जाट मृतक के बजाय–
9/1. गेहरीलाल पिता नारायण जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
9/2. हीरालाल पिता नारायण जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
9/3. उदयलाल पिता नारायण जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

9/4. लेहरू पिता नारायण जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(10). हीरा पिता रत्तु जाति जाट निवासी हाज्याखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(11). रजनीश पिता मोहनलाल शर्मा निवासी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(12). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 139/2013 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). दिनेशचन्द्र दायमा -अधिवक्ता अपीलांट
(2). शिवनारायण जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,4,6,10
(3). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 12

निर्णय **दिनांक 18.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188, 209 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 4 से 10 व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की मौजा हाजीयाखेड़ी तहसील भदेसर की आराजी खाता संख्या 43 मे दर्ज आराजी सख्या 100/1, 101,153/4 153/5, 154/1, 155/1, 16/2, 17/1, 18/1, 206/2, 65/2, 66/2, 67/2, 7/2, 70/2, 71/2, 72/2, 72/3, 72/6, 73/1, 76/2, 77/2, 80/1, 87/4, 91/4, 92/2, 94/1, 97/1 कुल किता 28 कुल रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा, तथा खाता संख्या 44 मे दर्ज आराजी संख्या 204 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के खाता संख्या 43 की सम्पूर्ण आराजीयात मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 का 1/8 हक व हिस्सा , खाता संख्या 44 की सम्पूर्ण आराजीयात मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 का 1/8 हक व हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 4 से 10 व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे अपने-अपने हक हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के हक व हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवाड़ा कराया जाकर पृथक रूप से राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज करायी जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को रहन व बक्षिस खुर्द बुर्द नहीं करे व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के हक हिस्से की आराजीयात मे दखलंदाजी न तो स्वयं करे ओर न किसी अन्य से करावे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 अपीलांट की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना बताते हुए पत्रावली मे तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं होना बताते हुए पत्रावली वास्ते शहादत वादीगण रेस्पोडेन्टगण 1 से 3 नियत की गई। जिसके लिए तारीख पेशी 20.03.2014 नियत की गई। उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण की ओर से बयान लिए जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी मे नियत की गई। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 ने गवाह के रूप मे शपथ-पत्र प्रस्तुत किया व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की। दिनांक 22.06.2015 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नाहरगढ़ मे नियत की जाकर दिनांक 22.06.2015 को गुणावगुण पर निर्णय करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 ने म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की । अपील को अंदर म्याद लिए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना-पत्र का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व न्यायोचित होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 ने अपनी ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत किया व जवाबदावे के साथ विशेष कथन व विक्रय-पत्र जो सहखातेदार नारायण व रामा का हिस्सा क्रय किया, उक्त विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया व जवाबदावे मे यह कथन किया गया कि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार बंटवाड़ा किया जावे । फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रवितादी संख्या 8 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। विरासत मे विक्रेता नारायण के वारिसान का दर्ज हो गया है, जबकि नारायण का हिस्सा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 ने क्रय कर लिया था। फिर भी प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे विक्रेता नारायण का हिस्सा नारायण के वारिसान को दिलाये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी है व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 को बिना सूचना दिए पत्रावली लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है , जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण ने राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे मे राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा चाहा गया व यह निवेदन किया गया कि खातेदार नारायण पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गना का 1/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विकय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया है व यह भी निवेदन किया कि विवादित आराजीयात पंजीकृत बहनामे से कय की तभी से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 कयशुदा आराजीयात पर काबिज है जिससे कब्जे अनुसार बंटवाड़ा किया जावे इसी आशय का गवाह के रूप मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया व राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा करने के लिए सहमत रहा है। पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है व उभय पक्षकारान की साक्ष्य हुई है। तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है, ऐसी स्थिति मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार होना बताते हुए अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण ने राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 अपीलांट की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया जो सहमति का नहीं होकर मौके व कब्जे के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का अनुतोष चाहा गया था जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण ने बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा चाहा था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया को सहमति का जवाबदावा नहीं माना जा सकता, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को दावा, जवाबदावा मय विशेष कथन अनुसार तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नही होने से व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 139/2013 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तरण न्यायालय को इन निदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर , आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, तनकीवार अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 19.09.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़